प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 04.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡**थाना बनकटा** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.देवी सरन गौड पुत्र सुदामा सा0 दोन थाना दरौली सिवान बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡**थाना बरहज** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.अमर निषाद पुत्र महाबली निषाद सा0 कटईलवा थाना बरहज, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 04.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 14 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

03. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 04.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 186 वाहनों से 171400 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।